बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

आदेश

आदेश संख्या–1/पी0एम0सी/विविध/879/2012/— 686 पटना, दिनांक- 31-7-18

दो करोड़ रूपये से अधिक की लागत के कार्य हेतु मानक बिडिंग डोकुमेंट (**SBD**) के प्रावधानों, विशेषकर **Qualification Criteria** का भिन्न–भिन्न तरह से **Interpretation** किया जा रहा हैं जिसके फलस्वरूप निविदा दस्तावेजों में एकरूपता नहीं रहती है। अतएव महत्वपूर्ण सिंचाई/बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जाने हेतु वर्तमान प्रावधानों/प्रक्रिया को और स्पष्ट बनाने हेतु विभागीय पत्रांक–1/PMC/विविध/879/2012-04, दिनांक 4.01.2016 द्वारा हाई लेवल तकनीकी टीम का गठन किया गया था।

2. दिनांक 1 जून, 2016 से विभाग का पुर्नगठन किया गया जिसके फलस्वरूप हाई लेवल तकनीकी टीम का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। उपरोक्त के आलोक में निदेशानुसार अभियंता प्रमुख, मुख्यालय की अध्यक्षता में हाई लेवल तकनीकी टीम का निम्नवत गठन किया जाता है :-

i) अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, पटना – अध्यक्ष

ii) अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना – सदस्य

iii) अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना – सदस्य

iv) मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना – सदस्य

v) अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, पटना – सदस्य सचिव

vi) अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2, पटना – सदस्य

vii) अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-3, पटना – सदस्य

viii) अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना – सदस्य

3. हाई लेवल तकनीकी टीम का टी0ओ0आर0 निम्नवत् होगा :-

i) योजनाओं को निर्धारित समय में पूर्ण करने हेतु बाधक कारणों को दूर करने हेतु वर्तमान प्रक्रिया में सरलीकरण ।

ii) SBD के प्रावधानों का समुचित व्याख्या कर एकरूपता तथा पारदर्शिता के साथ निविदा निस्तार में प्रक्रियात्मक विलंब को दूर करना।

iii) योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अन्यान्य बिन्दु।

4. SBD के प्रावधानों एवं अन्य के संबंध में मुख्य अभियंता प्रक्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव को संबंधित अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग द्वारा सदस्य सचिव को उपलब्ध कराया जाएगा।

5. मुख्य अभियंता प्रक्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव पर तकनीकी टीम एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन समर्पित करेगी।

6. इस संबंध में पूर्व से निर्गत विभागीय आदेश संख्या 1/PMC/विविध/879/2012-04, दिनांक 04.01.2016 को परिस्थापित किया जाता है।

7. उपर्युक्त पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

31/07/2018

अरूण कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

fazal/draft428

ज्ञापांक – 1/पी0एम0सी/विविध/879/2012/ – 686 पटना, दिनांक– 31-7-18

प्रतिलिपि :– सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/ अपर सचिव, जल संसाधन विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/निदेशक, वाल्मी, फुलवारीशरीफ, पटना/सभी संयुक्त सचिव/ सभी अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना/निदेशक, क्रय, भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, पटना/निदेशक, भू–अर्जन एवं पुर्नवास, पटना/विधि पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, काडा निदेशालय, जल ससाधन विभाग, सिंचाई भवन,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/2018
अरूण कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक – 1/पी0एम0सी/विविध/879/2012/ – 686 पटना, दिनांक– 31-7-18

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

31/07/2018
अरूण कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

fazal/draft429